

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 201/2024

छानलाल पुत्र श्री खिराजराम जाति कुम्हार नि.शाहपीनी तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
वादी

बनाम

1. खिराज राम पुत्र हरिराम जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।
2. जगजीत राम पुत्र खिराज रमा जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तह.संगरिया।
3. पुष्या देवी पत्नी खिराज राम जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तह.संगरिया।
4. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा धोलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते
किसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री प्रेमचंद भारद्वाज वकील वादी मिन जामिन
श्री विनोद शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म
दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 19 एएमपी के खाता संख्या 100/26
जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 व चक 19 एएमपी के खाता संख्या 21/22 जमाबन्दी
सम्वत 2070-2073 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी एवं प्रतिवादी
1 ता 2 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाते से प्रतिवादी सं.
1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त निर्णय
बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में
इसका अंकन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार राजस्व
रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज.......... नल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत.......... निल.......... खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........
अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.10.2025 को
जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया